कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of interest)

नगर निगम, देहरादून के केदारपुर स्थित कांजीहाउस में आश्रित पशुओं के भरण–पोषण एवं सेवा–सुश्रुषा के प्रबन्धकीय कार्यों हेतु सचिव, पशुपालन अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के ई पत्र संख्या–36254/XV–I/23/7(14)22 दिनांक 26 जून, 2023 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में वर्णित प्राविधानों अनुसार गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से प्रति पशु प्रतिदिन की दर से कराये जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदक संस्थाओं से अनुरोध है कि वे अभिरूचि की अभिव्यक्ति की शर्ते व नियमों का अध्ययन नगर निगम, देहरादून के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस या नगर निगम देहरादून की वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com से प्राप्त कर सकते हैं।

विस्तृत प्रस्ताव नगर निगम की ईमेल आई डी–nagarnigam.ddn@gmail.com या नगर निगम, देहरादून के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या–12 में दिनाँक 08.02.2024 को अपराह्न 4:00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त,नगर निगम देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः–156(V.A) दिनॉकः–27/01/2024

1. सम्पादक हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित प्रतिशत** छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक दि पायनियर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित प्रतिशत** छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आई0टी0 अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना नगर निगम की वेब साईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

नगर निगम, देहरादून (पशुचिकित्सा अनुभाग)

नगर निगम, देहरादून के केदारपुर स्थित कांजीहाउस में आश्रित पशुओं के भरण–पोषण एवं सेवा–सुश्रुषा के प्रबन्धकीय कार्यों हेतु आवेदन की शर्तें व नियम

1. आवेदक संस्था द्वारा नगर निगम के केदारपुर स्थित कांजीहाउस में आश्रित पशुओं का भली–भाँति भरण–पोषण व सेवा–सुश्रुषा एवं घायल बीमार पशुओं की देखभाल व उपचार आदि का कार्य किया जायेगा।
2. केदारपुर स्थित कांजीहाउस के संचालन हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन स्वीकार होंगे जोकि:– सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत धर्मार्थ संस्था हो अथवा पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हों।
3. आवेदक संस्था को कम से कम 100 गौवंश पशुओं की गौशाला चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. आवेदक संस्था को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से ब्लेकलिस्ट नहीं है।
5. आवेदक संस्था के पास पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।
6. आवेदक संस्था द्वारा विगत 1 वर्ष की फर्म की बैलेंस शीट (Audited balance sheet) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. नगर निगम, देहरादून के केदारपुर स्थित कांजीहाउस में केवल उन्हीं पशुओं को शरण दी जाएगी जिन्हें नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। संस्था द्वारा अपने स्तर से किसी भी पशु को शरण नहीं दी जाएगी।
8. आवेदक संस्था किसी भी पशु को कांजीहाउस के बाहर क्रय/विक्रय/अन्य संस्था को स्वयं से नही दे सकेगी। पशुओं का विक्रय/एडोप्शन/नीलामी/चालान की कार्यवाही नगर निगम द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
9. आवेदक संस्था द्वारा विधिमान्य रीति से मृतक गौवंश का निस्तारण स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक पशु का मृत्यु प्रमाण–पत्र क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. पशुओं की संख्या एवं मृत्यु सम्बन्धी अभिलेख आवेदक संस्था द्वारा अनुरक्षित करना होगा।
11. प्रत्येक पशु की टेगिंग (पहचान) नगर निगम द्वारा की जायेगी व मृत पशु का कर्ण छल्ला आवेदक संस्था द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराना होगा।
12. अनुबंध हो जाने के उपरांत भी कांजीहाउस के संचालन हेतु अन्तिम निर्णय मा0 नगर निगम बोर्ड व नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून में निहित होगा।
13. समस्त आवेदक संस्था उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तद्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।

14. संस्था के प्रस्तावानुरूप निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदकम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के कम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।
15. आवेदक संस्था द्वारा गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।
16. मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
17. आवेदक संस्था द्वारा गोवंश के उचित भरण–पोषण/देख–रेख एवं प्रबन्धन तथा अन्य समस्त व्ययों को अनुदान में दी गयी राजकीय सहायता से अतिरिक्त व्यय होने पर कांजीहाउस/गोसदन स्वयं के संसाधनों से अथवा धमार्थ/दान के माध्यम से निर्वहन करने हेतु स्वतन्त्र होगी।
18. आवेदक मान्यता प्रदत्त पशुकल्याण संस्था से रू0 100/– के अनुबंध पत्र में यह लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग गोसदन द्वारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही सदुपयोग किया जायेगा।
19. शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस कम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
20. गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आबंटन निरस्त कर गोवंश का प्रबंधन/भू अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम होगा। ऐसी दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा।
21. कांजीहाउस मे क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग के माध्यम से विस्थापित किया जायेगा।
22. गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित कांजीहाउस में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित कांजीहाउस की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रषित की जायेगी।
23. जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
24. अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष की होगी। 3 वर्ष की समाप्ति उपरांत संतोषजनक कार्य रहने की दशा में अनुबंध को आपसी सहमति एवं सुसंगत नियमों के आधार पर बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

25. आवेदक संस्था द्वारा अपना प्रस्ताव नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के नाम से भेजनी आवश्यक हैं, जो वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून कार्यालय कक्ष संख्या–12 में जमा किया जायेगा। किसी अन्य अधिकारी के नाम प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जायेगी।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद देहरादून होगा।
27. किसी भी शर्त के उल्लघंन पर नगर निगम को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर दें।
28. इच्छुक आवेदक संस्थायें अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) हेतु आवेदन की शर्ते व नियमों का अध्ययन नगर निगम, देहरादून के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या–12 से किसी भी कार्यदिवस या नगर निगम देहरादून की वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक संस्थाओं द्वारा अपना विस्तृत प्रस्ताव नगर निगम की ईमेल आई डी- nagarnigam.ddn@gmail.com या नगर निगम, देहरादून के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या–12 में दिनाँक 08/02/24 को अपराह्न 4:00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मैने उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य करने हेतु सहमत हूँ/हैं। मैंने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये हैं व समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर .....

आवेदक संस्था का नामः .....

संस्था का पताः .....

मो0न0.....

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम, देहरादून